FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

बंशीलाल चौधरी बनाम भूमिधारी

प्रार्थना पत्र 136 LRAct मुकदमा नं. 65/2019 सन् 2019

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामसिंह ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट तहसील ली गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जावे। प्रार्थी सं० को बहस हेतु तलब किया जावे। दिनांक 18/1/19 को पेश हो।	
18/1/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। बहस सुनी गयी। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने बयान किया कि भूमि ख० नं० 107 रकबा 0.9400 हे० तन ग्राम माधोकाबास प० ह० ... तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी में प्रार्थी का नाम बंशीधर पुत्र बल्लाराम दर्ज है जो गलत है। वास्तविक नाम बंशीलाल पुत्र बल्लाराम ही है। प्रार्थी के दस्तावेज में यही नाम है तथा श्री अनुसार कृषि भूमि ख० नं० 102, 102/396 किता-2 कुल रकबा 1.2300 हे० तन ग्राम माधोकाबास	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	में भी बन्शी पुत्र बल्ला गलत दर्ज है तथा प्रार्थी का पता सा० ग्राम हाथसर तहसील गलत दर्ज है। अत: प्रार्थी का सही नाम बंशीधर पुत्र बल्लाराम के स्थान पर बंशीलाल पुत्र बल्लूराम इन्द्राज किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थी की सुनी तथा उस पर गौर किया गया। प्रार्थी के आयकर कार्ड मे प्रार्थी का नाम बंशीलाल पुत्र बिल्लूराम तथा आधार कार्ड मे बंशीलाल पुत्र बल्लूराम अंकित है। अत: प्रार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :- **आदेश** ग्राम माधोकाबास प० ह० गाडवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) की कृषि भूमि ख०नं० 107 रकबा 0.94 में प्रार्थी का नाम बन्शीधर पुत्र बल्लाराम के स्थान पर बंशीलाल पुत्र बल्लूराम व कृषि भूमि ख०न० 102, 102/296 कुल किता-2 कुल रकबा 1.2300 है० मे प्रार्थी का नाम बंशी पुत्र बल्ला के स्थान पर बंशीलाल पुत्र बल्लूराम इन्द्राज किया जावे। पालना हेतु तहरीर तहसीलदार

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
खण्डेला को जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नक्ल से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner